न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —44 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 67

1. अशरफ पुत्र स्व0 श्री इंसाफ अली
2. असलम पुत्र स्व0 इंसाफ अली

निवासीगण म0नं0 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

श्रीमति नूरबानों पत्नि स्व0 श्री इंसाफ अली उम्र 60 वर्ष निवासी म0नं0 39 बी मदीना मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.02.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा प्र0सं0 93 / 2024 उनवान नूरबानों बनाम अशरफ, असलम

उपस्थितः—

1. श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक— 05.08.2025

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नूरबानों के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 28.02.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के कथनों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है, आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार सम्भल स्वयं करने में असमर्थ है । अतः अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता का 10,000 / —, 10,000 / — मासिक प्रत्येक अर्थात 20,000 / — मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।

2. उक्त आदेश दिनांक 25.10.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.04.2025 को जरिये अभिभाषक पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

3. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पो0 न0 1 ने एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोशज्ञण एवं कल्याण अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में मिथ्या कथनों के आधार पर बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज के अपीलान्ट की आय 1,00,000 / — प्रति माह बताकर प्रत्येक अपीलान्ट से 20—20 हजार रूपये प्रति माह अपने भरण पोषण, कपडे लत्ते हारी बीमारी में इलाज आदि के लिए मांगे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भावना के आधार पर रेस्पो0

के पक्ष में प्रत्येक अपीलान्ट से 10–10 हजार रूपये भरनण पोषण राशि देने का निर्णय दिनांक 28.2.2025 को प्रदान करने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलान्ट्स के विरूद्व रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 28.2.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अपीलान्ट्स की कमाई के संबंध में कोई दस्तावेज रेस्पो0 से तलब नहीं करवाया और ना ही रेस्पो0 द्वारा यह बताया गया कि उसको कौनसी बीमारी के इलाज एवं भरण पोषण के लिये इतनी राशि प्रत्येक माह चाहिये जबकि रेस्पो0 60 वर्षीय महिला है जो कि अपने दैनिक कार्य स्वयं करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, रेस्पो0 द्वारा द्वौराने मुकदमा अपनी बीमारी आदि के संबंध में कोई भी इलाज का पर्चा आदि पेश नहीं किया तत्पश्चात भी बिना किसी उचित आधार के रेस्पो0 को इतनी बढी राशि दिलवाये जाने के आदेश प्रदान कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय इस और भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट एक ही दुकान पर एक ही व्यापार करते है और उनको जो व्यापार है वह भी इतना बढा नहीं है जिससे कि अपनी अपनी चार–चार लोगों की गृहस्थी का खर्चा भी ढंग से चला सकें । इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.2.2025 पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलान्ट का जो व्यापार है वह खुला व्यापार है, जिसमें उतार चढाव आते रहते है, ऐसी सूरत में अपीलान्ट्स प्रत्येक माह रेस्पो0 को 10–10 हजार रूपये देने में असमर्थ है । वैसे भी सरकार द्वारा वृद्वावस्था पेंशन एवं फ्री इलाज की सुविधा प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को दी जाती है, रेस्पो0 जो कि मात्र अकेली महिला है जो इतनी बडी राशि प्रत्येक माह किस आवश्यकता के लिये चाहिये, जबकि रेस्पो0 के 4 पुत्रियां है जिनका विवाह भी हो चुका है और अपने अपने ससुराल में निवास कर रही है । रेस्पो0 के उपर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । अपीलान्ट्स के पिता व रेस्पो0 के पति स्व0 श्री इन्साफ अली का वर्ष 2020 मे देहान्त हो जाने के बाद से ही रेस्पो0 की समस्त देख भाल जैसे भोजन कपडे, इलाज आदि एवं सार संभाल अपीलान्ट्स ही अपने अपने तरीके से करते चले आ रहे है, इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर निर्णय दिनांक 28.2.2025 पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । रेस्पो0 दोनों पुत्रों से इतनी बडी भरण पोषण राशि क्यों लेना चाहती है जबकि एक ही साथ एक ही मकान मे जो कि अपीलान्ट्स के पिता के नाम है में निवास करती है । परन्तु रेस्पो0 का उद्देश्य मात्र अपीलान्ट्स को आर्थिक रूप से परेशान करने का है जिससे कि अपीलान्ट्स परेशान होकर अपने पिता के उक्त मकान से अपना हिस्सा छोड़ कर चले जावें । अपीलाधीन आदेश के पश्चात रेस्पो0 अपीलान्ट्स पर हावी होकर अपनी पुत्रियों के जरिये अपीलान्ट्स को उक्त मकान से जबरदस्ती निकालने पर आमादा है । अपीलान्ट्स दो दो बच्चों की शिक्षा ही अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहे है तो ऐसी सूरत में एक मात्र अकेली रेस्पो0 को प्रत्येक माह 10–10 हजार रूपये कहां से देंगे । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा एक लाख रूपये कमाने का कोई प्रमाण रेस्पोडेन्ट ने पेश नहीं किया है । अपीलान्ट्स सब्जी मंडी कोटा में दुकान लगाकर मात्र दोनों भाई 35–40 हजार रूपये कुल कमा पाते है । जिसमे उनके स्वयं परिवार बीबी बच्चों का भी खर्चा है । रेस्पो0 बिल्कुल स्वस्थ है एवं अपना दैनिक कार्य स्वयं करती है । रेस्पो0 द्वारा बीमारी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अपीलान्ट, रेस्पो0 की अच्छी तरीके से देखभाल करते है एवं भरण पोषण के लिये भी उचित राशि देते है, बीमार होने पर इलाज आदि भी अपीलान्ट्स ही करवाते है ।, अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.2.2025 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स को न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2025 के विरूद्व दिनांक 02.04.2025 को पेश की गई है जो निर्धारित मियाद 60 दिवस में प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अप्रार्थी अपीलांटगण के विरूद्व बतौर भरण पोषण राशि प्रत्येक पुत्र से 20–20 हजार रूपये दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिकरूप से

स्वीकार करते हुए प्रत्येक अप्रार्थी से बतौर भरण पोषण 10–10 हजार रूपये कुल 20,000/– का भुगतान जरिये बैंक खाता अंदा करने के आदेश दिनांक 28.2.2025 को पारित किये है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्व यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांटगण एक ही मकान में निवास करते है तथा हारी बीमारी में अपीलांटगण रेस्पोडेन्ट का ध्यान रखते है, तथा सम्पूर्ण खर्चा वहन कर रहे है, तो फिर इतनी बड़ी राशि की प्रार्थीया रेस्पो0 को आवश्यकता नहीं है, मात्र अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर उक्त मकान से अप्रार्थीगण अपीलांट्स पर दबाव बनाया जाकर बाहर निकालना है । तथा अपीलांटगण ने यह भी कथन किया है कि उनका व्यापार खुला व्यापार है जिसमें उतार चढाव आता रहता है तथा कभी व्यापार ठप्प हो सकता है तथा दोनों भाईयों की कुल कमाई 35 से 40 हजार रूपये मासिक बताई है,इस कारण इतनी बढी रकम अदा करने में सक्षम नहीं होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है । प्रार्थीया रेस्पो0 ने अप्रार्थीगण अपीलांट्स की मासिक आय 1,00,000/– बताई गई है जिसका अप्रार्थीगण अपीलांट ने यह कहते हुए गलत बताया है कि प्रार्थीया ने एक लाख रूपये की आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, तथा इस अपील में अपनी बहस में कथन किया है कि उनकी आय मात्र 35 से 40 हजार रूपये है, अप्रार्थी अपीलांट्स ने भी अपनी मासिक आय 35 से 40 हजार रूपये मासिक होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इस प्रकार हम यह पाते है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट अपीलांट की माता है, अपीलांटगण का दायित्व है कि अपनी वृद्व माता ज़ो कि 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है, वह वृद्व है उनकी बुढापे में ध्यान रखें एवं भरण पोषण आदि की व्यवस्था करें । किन्तु यहां यह भी विचारणीय बिन्दु है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 एक ही मकान में रहते है तथा पिछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुत्रियों का विवाह कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में वास्त में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रतिमाह 20 हजार रूपये की भरण पोषण की राशि अपीलांटगण से रेस्पो0 को दिलाने के आदेश किये है वह अपीलांटगण की आर्थिक स्थिति एवं प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 10–10 हजार के स्थान पर प्रत्येक अप्रार्थी अपीलांट से 10–10 हजार के स्थान पर 5–5 हजार रूपये कुल 10,000/– दस हजार रूपये बतौर भरण पोषण तय किया जाना उचित पाते है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.2.2025 से तय की गई भरण पोषण की राशि में संशोधन किया जाकर प्रत्येक अप्रार्थी से 10–10 हजार रूपये कुल 20,000/–रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 5–5 हजार रूपये कुल 10,000/– दस हजार रूपये प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को भुगतान बतौर भरण पोषण हेतु करने के आदेश दिये जाते है । अधीनस्थ न्यायालय का, शेष आदेश यथावत रहेगा । अपीलांटगण उपरोक्तानुसार भुगतान नियमितरूप से जरिये बैंक खाता प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को प्रतिमाह अदा करें ।
6. निर्णय आज दिनांक 05.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा